राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहबाद, जिला बारां

पीठासीन अधिकारी :– कैलाशचन्द गुर्जर (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद सं0 49/2016

उनवानी

1. सूरजप्रसाद पुत्र श्रीलाल दत्तक पुत्र सुन्दरलाल जाति किराड़ निवासी बैंटा तहसील शाहबाद।

––वादी

बनाम

1. परसादी पुत्र श्रीलाल जाति किराड़ निवासी बैंटा तह0 शाहबाद।
2. भवानीशंकर पुत्र श्रीलाल जाति किराड़ निवासी बैंटा तह0 शाहबाद।
3. जगदीश पुत्र श्रीलाल जाति किराड़ निवासी बैंटा तह0 शाहबाद।
4. राजस्थार सरकार जर्ये तहसीलदार शाहबाद।

––प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 92ए, 188 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

दिनांक 18.06.2019

वादी ने जरिये अभिभाषक उपस्थित होकर दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 92ए, 188 आरटी एक्ट विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत किया। वाद पत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम घुरेरा स्थित आराजी खसरा नं0 28/286 रकबा 24.18 बीघा खसरा नं0 128/314 रकबा 4.10 बीघा एवं खसरा नं0 129/315 रकबा 0.17 बीघा कुल किता 3 कुल रकबा 30.05 बीघा एवं ग्राम महू पटवार हलका बैंटा आराजी खसरा नं0 93/283 रकबा 2.03 बीघा एवं खसरा न0 93/284 रकबा 2.11 बीघा कुल किता 2 रकबा 4.14 बीघा सिथित है। इस आराजीयात को दावें में आगे विवादित आराजीयात के नाम से सम्बोधित किया गया है। विवादित आराजीयात वादी की सगी ताई कलाबाई बैवा सुन्दरलाल जाति किराड़ निवासी बैंटा के खाते दर्ज है। इसका देहान्त 21.06.2015 को हो चुका है। वादी के पिता के सगे

बड़े भाई सुन्दरलाल जो रिश्ते में वादी के सगे ताऊ थे के खुद की कोई औलाद नही थी। इस कारण उन्होने अपनी पत्नी कलाबाई की सहमति से अपने जीवनकाल में ही पुत्रवत अपने साथ रख लिया था और वादी विवादित आराजीयात को सुन्दरलाल के पुत्र की हैसियत से काश्त करने लगा तथा उसकी मृत्यु उपरांत मुखाग्नि तथा समस्त क्रियाकर्म बहैसियत पुत्र वादी ने ही किये तथा उनकी पत्नी कलाबाई की भी ताउम्र वादी ही पुत्रवत सेवा सुश्रा की तथा मृत्यु उपरांत मुखाग्नि तथा समस्त क्रियाकर्म बाहैसियत पुत्र वादी ने ही किये इस तरह वादी मृतक सुन्दरलाल एवं उसकी पत्नी कलाबाई का दत्तक पुत्र है और विवादित आराजियात पर अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा करा पा सकने का हकदार है।

वादी ने दिनांक 28.11.2019 को विवादित आराजियात का नामान्तकरण अपने नाम दर्ज कराने हेतु पटवारी हल्का से एवं सरपंच से निवेदन किया तो प्रतिवादीगण क्रम 1 ता 3 जो वादी के प्राकृतिक पिता के पुत्र होने से सगे भाई हैं ने यह कहते हुये आपत्ति की कि खातेदार कलाबाई जो विवादित आराजियात की एक मात्र खातेदार होकर स्वामी रही है ने दिनांक 28.03.2015 को विवादित आराजियात के 1/2 हिस्से की वसीयत हम तीनों के नाम की है तथा 1/2 हिस्से की वसीयत वादी के नाम की है। इसी अनुपात में नामान्तकरण दर्ज होगा। इस पर वादी ने कहा कि मैं सुन्दरलाल का दत्तक पुत्र होने के कारण 1/2 हिस्से का हकदार तो कानूनी दृष्टि से हूं तथा 1/2 हिस्से की हकदार कलाबाई थी। उन्होने वसीयत की है तो उनके 1/2 हिस्से में से 1/2 का मैं तथा शेष 1/2 के 1/2 के आप तीनों हकदार है। इस तरह मेरे नाम से 3/4 तथा आप तीनों के नाम 1/4 का नामान्तकरण दर्ज करवा लेते हैं लेकिन प्रतिवादीगण मानने को तैयार नहीं है और उन्होने वादी को धमकी दी है कि वह विवादित आराजियात के 1/2 भाग को अपने नाम करवाकर वादी को बेदखल करके रहेंगे। प्रतिवादीगण की इस धमकी से वादी के हकूक मालिकाना को भारी खतरा उत्पन्न हो गया है। इस कारण वादी विवादित आराजियात पर अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा कराकर प्रतिवादीगण के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का हकदार हैं।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण जर्ये अधिवक्ता के उपस्थित होकर जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम पेश कर निवेदन किया है कि वादपत्र की मद संख्या 1 में वर्णित आराजी का स्थित होना स्वीकार है। वादपत्र के मद संख्या 2 में सुन्दरलाल व कलाबाई का वादी को गोद लिया जाना स्वीकार है। शेष विवरण जिस तरह लिखा गया है गलत है अतः अस्वीकार है। वादपत्र मदक्रम 3 जिस तरह लिखा गया है गलत है अपितु कथन है कि विवादित भूमि की खातेदार कलाबाई बैवा सुन्दरलाल ने विवादित भूमि के दिनांक 28.03.2015 को एक वसीयत की है जिसमें विवादित भूमि में से 1/2 भाग प्रतिवादीक्रम 1 ता 3 को तथा 1/2 भाग वादी को कलाबाई की मृत्यु उपरांत जर्ये वसीयत प्राप्त होगा दर्ज किया गया है जिसके आधार पर वादी विवादित भूमि में से 1/2 हिस्से पर तथा शेष 1/2 हिस्से को प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 अपने खाते दर्ज करवा पा सकने का अधिकारी है। वाद पत्र की मद संख्या 5,6,7,8 कानूनी है। प्रार्थना– वादी आंशिक रूप से स्वीकार है।

विवादित भूमि के खातेदार कलाबाई बेवा सुन्दरलाल ने विवादित भूमि की दिनांक 28.03.2015 को एक वसीयत की है जिसमे विवादित भूमि में से 1/2 भाग प्रतिवादीक्रम 1 ता 3 तथा 1/2 भाग वादी को कलाबाई की मृत्यु उपरांत जर्ये वसीयत प्राप्त होगा दर्ज किया गया है जिसके आधार पर वादी विवादित भूमि में से 1/2 हिस्सा पर तथा शेष 1/2 हिस्से को प्रतिवादीक्र 1 ता 3 अपने खाते दर्ज करा पा सकने का अधिकारी है।

वाद एंव जवाब काउंटर क्लेम के अनुरूप तन्कियात निम्न प्रकार से कायम की गई।

तन्कियात

1. आयावादी मृतक खातेदार का दत्तक पुत्र होने से विवादित आराजी का अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा करा पा सकने का हकदार है। **– जिम्मेवार्द**
2. आवा विवादित भूमि की खातेदार कलाबाई ने विवादित आराजी की वसीयत दिनांक 28.03.2015 को वादी सूरजप्रसाद का हिस्सा 1/2 एवं प्रतिवादीक्र 1 ता 3 हिस्सा 1/2 के रूप मे की है जिसके आधार पर जर्ये काउंटर क्लेम प्रतिवादीक्रम 1 ता 3 विवादित आराजी के हिस्सा 1/2 को अपने नाम तथा हिस्सा 1/2 को वादी के नाम कराने का हकदार है। **–जिम्मे प्रतिवादी**

उपरोक्त विवाद्यकों के सम्बन्ध में वादी की ओर से मौखिक साक्ष्य में पीडबल्यू–1 के रूप में स्वयं का बयान कराया है तथा दस्तावेजों साक्ष्य में जमाबंदी ग्राम घुरेरा संवत् 2070–73 प्रदर्श–2 कलाबाई का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श–3 तथा प्रतिवादी की ओर से मौखिक साक्ष्य में प्रतिवादी जगदीश डीडब्ल्यू– 1 गवाह कालूराम डीडब्ल्यू– 2 शिवचरण डीडब्ल्यू–3, चिरौंजी डीडब्ल्यू–4, जानकीलाल डीडब्ल्यू–5, रामदयाल डीडब्ल्यू–6 के बयान दर्ज करवाये हैं तथा दस्तावेजी साक्ष्य में वसीयतनामा प्रदर्श ए–1, वारिस प्रमाण– पत्र प्रदर्श–ए2 पेश किये हैं तथा वादी एवं प्रतिवादीगण ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश कर निवेदन किया है कि दोनों पक्ष आपसी सहमति से वसीयतनामा प्रदर्श ए–1 के अनुसार अपने– अपने हिस्से पर खातेदार अधिकार की घोषणा कराने को सहमत हो गये हैं।

हमने उभयपक्ष की बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज एंव मौखिक साक्ष्य तथा उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत किये राजीनामा का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेज साक्ष्य से यह प्रमाणित है कि विवादित आराजियात कलाबाई बेवा सुन्दरलाल जाति किराड़ निवासी बैंटा के खाते दर्ज है। कलाबाई की मृत्यु होना, मृत्यु प्रमाण– पत्र प्रदर्श– 3 से प्रमाणित होता है तथा कलाबाई के खुद की औलाद न होना भी पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से प्रमाणित होता है। कलाबाई की मृत्यु के उपरांत विवादित आराजियात को उनके द्वारा उनके जीवनकाल में की गई वसीयत प्रदर्श ए–1 से विरासत दर्ज की जावेगी। वसीयत प्रदर्श ए–1 मृतक खातेदार द्वारा वादी के पक्ष में हिस्सा 1/2 एवं शेष 1/2 हिस्से की वसीयत प्रतिवादीक्रम 1 ता 3 के पक्ष में किया जाना प्रमाणित होता है। वसीयत के गवाह डीडब्ल्यू–2 कल्लूराम, डीडब्ल्यू–3 चिरौंजी, डीडब्ल्यू–4 शिवचरण, डीडब्ल्यू–5 जानकीलाल, डीडब्लयू–6 रामदयाल, डीडब्ल्यू–6 ने वसीयत को प्रमाणित

किया है तथा वादी एवं प्रतिवादी भी जर्ये राजीनामा अनुसार विवादित आराजियात को अपने– अपने खाते हिस्से में दर्ज करवाने पर सहमत हुये।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद आंशिक रूप से एवं प्रतिवादीगण का काउंटर क्लेम स्वीकार किया जाकर विवादित आराजियात ग्राम घुरेरा स्थित आराजी खसरा नं0 28/286 रकबा 24.18 बीघा खसरा नं0 128/314 रकबा 4.10 बीघा एवं खसरा नं0 129/315 रकबा 0.17 बीघा कुल किता 3 कुल रकबा 30.05 बीघा एवं ग्राम महू पटवार हलका बैंटा आराजी खसरा नं0 93/283 रकबा 2.03 बीघा एवं खसरा न0 93/284 रकबा 2.11 बीघा कुल किता 2 रकबा 4.14 बीघा के 1/2 हिस्से का वदी को तथा शेष 1/2 हिस्सा का प्रतिवादीक्रम 1 ता 3 को खातेदार घोषित किया जाता है। तद्नुसार निर्णय अनुसार डिक्री बनाई जावे। निर्णय आज दिनांक 18.06.2019 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2019.07.23 13:56:39 IST
Reason: SelfAttested
Location: